उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 02/2019

शिव शंकर प्रसाद बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
28/02/2020		

–:: **आदेश** ::–

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–96/2018 हाईवा ट्रक संख्या–JH-02F-7308 के स्वामी में दिनांक–08.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध उक्त अपील वाद दायर किया गया है। दिनांक– 24.07.2019 को प्रविष्टि के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुनने के उपरान्त वाद अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया तथा सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। इनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित भूमि मौजा–फुलसराय/मरार, थाना संख्या–142, प्लॉट संख्या–1902, जो वन सीमा क्षेत्र से बाहर है। अपीलार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में दायर Government Complaint Case No.-105/2018 में समर्पित वन भूमि सीमा क्षेत्र से सम्बन्धित दायर गजट की सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया के तहत् आदेश पारित किया गया है। अधिसूचित वन क्षेत्र अन्तर्गत जप्त वाहन एवं उस पर लदा मिट्टी को जप्त किया गया है। वन सीमा क्षेत्रान्तर्गत उत्खनन कार्य किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत् दण्डनीय अपराध है। फलतः जप्त ट्रक संख्या–JH-02F-7308 को भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(3) के तहत् राज्यसात निम्न न्यायालय द्वारा किया गया है, जो विधिसंगत है। इन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि :–

(1) जप्त वाहन में मिट्टी लदा हुआ पाया गया है, जो मौजा–फुलसराय, थाना–रामगढ़, थाना संख्या–142, प्लॉट संख्या–1902 में उत्खनन किया गया है।

(2) निम्न न्यायालय द्वारा जप्त वाहन में लदा मिट्टी को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा 52(3) तहत् राज्यसात किया गया है।

(3) अपीलार्थी द्वारा समर्पित वन सीमा अन्तर्गत अधिसूचित गजट से सम्बन्धित सत्यापित प्रति एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्र संख्या–885, दिनांक–17.04.2018 द्वारा प्रतिबंधित वन भूमि की सूची अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिसमें प्रश्नगत भूमि मौजा–फुलसराय, थाना–रामगढ़, थाना संख्या–142, प्लॉट संख्या–1902 अधिसूचित वन सीमान्तर्गत नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52(3) के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार नहीं है, क्योंकि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्र संख्या–885, दिनांक–17.04.2018 द्वारा प्रतिबंधित वन भूमि की सूची में प्रश्नगत भूमि मौजा–फुलसराय, थाना–रामगढ़, थाना संख्या–142, प्लॉट संख्या–1902 का इन्द्राज नहीं रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

317/विधि
24/04/202

लेखापित एवं संशोधित

28/02/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।

28/02/2020

उपायुक्त,
रामगढ़।